# ...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 36/2019

1 बजरंगलाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

**बनाम**

1 पुराराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

2 मल्लाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

3 हेमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

4 स्वर्गीय गिरधारीसिंह पुत्र बाघसिंह जाति राजपूत निवासी सडू छोटी तह. बीदासर जिला चूरू

4/1 श्रीमती संतोष कंवर पत्नी स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

4/2 चतरसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

4/3 स्व. विक्रमसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

4/3/1 सायर कंवर पत्नी स्व. विक्रमसिंह राजपूत निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

4/3/2 पवनसिंह नाबालिग पुत्र स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सांयर कंवर पत्नी स्व. विक्रमसिंह राजपूत निवासी सडू छोटी बीदासर चूरू

4/3/3 पंकजसिंह नाबालिग पुत्र स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सांयर कंवर पत्नी स्व. विक्रमसिंह राजपूत निवासीनी सडू छोटी तह. बीदासर चूरू

5 गंगाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

**दावा चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती सभी प्रकार के दस्तावेजी एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित :–**

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 एक पक्षीय कार्यवाही

3 प्रतिवादी स. 6 – पैरोकार राज.

## निर्णय

दिनांक :– 27/2/2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर वादी बजरंगलाल पुत्र घासीराम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का है जिन्हे आगे वाद पत्र में वादगत कृषि भूमि कहा गया है वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर खसरा नम्बर 304 रकबा 8–12 बीघा पर वादी का पुख्ता कब्जा अधिकार है जो वादी के पुर्वजो के वक्त की खातेदारी भूमि है तथा जो विभाजन निर्णय दिनांक 20–7–2018 और न्यायालय डिक्री दिनांक 27–7–2018 के द्वारा हिस्सा पांती की है जो जरिये स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 564 दिनांक 5–9–2018 के आधार पर वादी के खातेदारी का दर्ज है। जिस पर वादी का साधिकार पूर्वक कब्जा दखल चला आ रहा है वादगत खेत खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर हिस्सा पांती अनुसार वादी के पूर्वज पिता घासीराम के वक्त से कब्जा काश्त में है प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वादी की उक्त कृषि भूमि खेत खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर में नाजायज प्रवेश कर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशीश में लगे हूए है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को इस प्रकार वादी को उक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि से जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने व वादी को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण 1 ता 5 को कानूनन चिर निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया है वादगत कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी एवं राजस्व रेकार्ड में खातेदारी एवं वादगत कृषि भूमि पर वादी का साधिकार पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग एवं सम्पति से सम्बन्धित अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा किये जाने वाले गैर कानूनी कार्य के कारण वादी को वादाधार प्राप्त है दिनांक 10–6–2019 को मुझ वादी के वादगत खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर, 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर में अपना अपना कार्य कर रहा था तभी उक्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादगत खेत के सामने के मार्ग पर एकराय होकर आये तथा मुझ वादी को ऐलानिया धमकीया दी की वादगत खेत खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर पर हम कब्जा करेगे, तुमसे जो होता है वो कर लेना। उक्त प्रतिवादीगण मुझ वादी के विरोध के कारण अपने नाजायज, गैर कानूनी और विधि विरूद्ध कृत्य में सफल नहीं हो सके। वाद पत्र में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर प्रतिवादी सख्या 6 संयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सख्या 6 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है फिर भी कानूनी औपचारिकताओं के लिए पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर में स्थित होने के से श्रीमान जी के न्यायालय को वाद सुनने व निर्णित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी का वाद अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को चिर निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि रोही ग्राम सडू छोटी के खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324/84 रकवा 0.0480 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं उनके किसी अंश, भाग आदि में न तो प्रवेश करें न उक्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल करें, न वादगत भूमि पर कब्जा करें, ना ही किसी से नाजायज कब्जा करायें, वादगत भूमि की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन करने की कोशीश नही करे, अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी को हो तो दिलवाया जावें आदि आदि अनुतोष चाहा।

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से की तरफ से श्री रघुवीर भांमू ने दिनांक 9.7.2019 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। दौराने विचारण प्रतिवादी सख्या 4 की मृत्यू होने पर दिनांक 22.7.2021 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत। फर्द अहकाम दिनांक 12.4.2022 को प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता की और से प्रकरण में पैरवी की हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया गया, कायम मुकामान की तलबी जारी, संशोधित शिर्षक प्रस्तुत। कायम मुकामान की विधिवत तामील के वावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर दिनांक 22.9.2022 को कायम मुकामान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 6 पैरोकार राज ने राजहित निहित नहीं होना जाहिर किया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा अपने सशपथ बयान प्रस्तुत कर अपने दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रकरण में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का है। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्षकार प्रतिवादी द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः उपरोक्त वाद को निर्णित करते हुए प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित वादी के खातेदारी अधिकारों के खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं उनके किसी अंश, भाग में न तो प्रवेश करें न उक्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल करें, न वादगत भूमि पर कब्जा करें, ना ही किसी से नाजायज कब्जा करायें, वादगत भूमि की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन करने की कोशीश नही करे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनाक 27-2-2025 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर (चूरू)

अन्तिम **डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**

( ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ................................मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....................व

इजलास..............**पीठासीन अधिकारी**........... श्री **अमीलाल यादव** R.A.S.

बजरंगलाल बनाम पुराराम आदि

दावा बाबत ............**दावा चिर निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर..........36..../2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ....... हाजरी . श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट मिनजानिब मुदई व ....................व पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि .... वाद को निर्णित करते हूए प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वाद पत्र में वर्णित वादी के खातेदारी अधिकारों के खेत खसरा नम्बर 323/43 रकबा 0.3278 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 324/84 रकबा 0.0480 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं उनके किसी अंश, भाग में न तो प्रवेश करें न उक्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल करें, न वादगत भूमि पर कब्जा करें, ना ही किसी से नाजायज कब्जा करायें, वादगत भूमि की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन करने की कोशीश नही करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

फीस ............—.............. मुबलिग.........................—......................बाबत ..........—.................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..............................................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ................ ................................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...27....माह.....2.....2025

मुहर उपखण्ड अधिकारी
दस्तख्त......
ओहदा.......बीदासर (चूरू)

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायला | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महनताना वकील पर<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)